

बिहार सरकार  
ग्रामीण कार्य विभाग

का०आ०स०:- ०८/अ०प्र०-०८-०३/२०२० १२२ /पट्टा, दिनांक:-१४/५/२०२०


शुद्धि-पत्र


(कार्यालय आदेश)

सेवानिवृत्त/मृत कार्यभारित कर्मियों के नियमित स्थापना में सेवा समायोजन संबंधी निर्गत विभागीय कार्यालय आदेश सं०-८५ सह-पठित ज्ञापांक-२०३८ दिनांक-२१.०४.२०२३ की कंडिका-०२ में अंकित प्रथम पाराग्राफ के अंश में "तदनुसार समिति द्वारा जाँचोपरांत की गयी अनुशंसा के आलोक में संकल्प सं०-५५४७ दिनांक-०३.०७.२०१९ एवं एतद् विषयक समय-समय पर वित्त विभाग/सरकार द्वारा यथा निर्गत पत्रों/परिपत्रों/संकल्पों में संसूचित प्रावधानों के संदर्भ में ग्रामीण कार्य विभाग के क्षेत्राधीन कार्यालयों के निम्नलिखित कार्यभारित स्थापना के मृत/सेवानिवृत्त कर्मियों को प्रावधानानुसार, वांछित अर्हता पुरी करने पर उन्हें "उनकी सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि" के स्थान पर भूलवश "उन्हें मृत्यु की तिथि दिनांक-०५.०१.२०१२" से नियमित स्थापना में सम्परिवर्तित/समायोजित किया जाता है:-" अंकित हो गया है।

अतः उक्त कंडिका-०२ में अंकित अंश "तदनुसार समिति द्वारा जाँचोपरांत की गयी अनुशंसा के आलोक में संकल्प सं०-५५४७ दिनांक-०३.०७.२०१९ एवं एतद् विषयक समय-समय पर वित्त विभाग/सरकार द्वारा यथा निर्गत पत्रों/परिपत्रों/संकल्पों में संसूचित प्रावधानों के संदर्भ में ग्रामीण कार्य विभाग के क्षेत्राधीन कार्यालयों के निम्नलिखित कार्यभारित स्थापना के सेवानिवृत्त/मृत कर्मियों को प्रावधानानुसार, वांछित अर्हता पुरी करने पर उन्हें उनकी सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि से नियमित स्थापना में सम्परिवर्तित/समायोजित किया जाता है:-" पढ़ा जाय।

2. विभागीय कार्यालय आदेश सं०-८५ सह-पठित ज्ञापांक-२०३८ दिनांक-२१.०४.२०२३ को इस हद तक संशोधित समझा जाय।
3. उक्त आदेश की शेष निदेश/कंडिकाएँ यथावत रहेगी।

  
(अशोक कुमार मिश्र)

  
अधिकारी प्रमुख  
K. कार्यालय आदेश

ज्ञापांक:-08/अ0प्र0-08-03/2020 २५६३ पटना, दिनांक-१४/५/२३

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग(बजट शाखा)/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार/उपकोषागार पदाधिकारी को विभागीय कार्यालय आदेश सं0-85 सह-पठित ज्ञापांक-2038 दिनांक-21.04.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख १५/५/२३

ज्ञापांक:-08/अ0प्र0-08-03/2020 २५६३ पटना, दिनांक-१४/५/२३

प्रतिलिपि:- सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग को विभागीय कार्यालय आदेश सं0-85 सह-पठित ज्ञापांक-2038 दिनांक-21.04.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संबंधित अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपने कार्यालय से संबंधित कर्मियों को इस शुद्धि-पत्र की प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अभियंता प्रमुख १५/५/२३

ज्ञापांक:-08/अ0प्र0-08-03/2020 २५६३ पटना, दिनांक-१४/५/२३

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख के निजी सहायक/संयुक्त सचिव/उप सचिव /आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख १५/५/२३